संख्या 1640 /दस-1-2004-14(131)/2003
1137

प्रेषक,

बी0पी0 पाण्डेय,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल,
कैम्प कार्यालय- देहरादून

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक 29 अक्टूबर, 2004

विषय:- वेतन समिति (1997-98)/मुख्य सचिव समिति (उ0प्र0) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के वन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-840/14-3-2003-700(230)/97, दिनांक 02 जुलाई 2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति (उ0प्र0) की संस्तुतियों पर वन विभाग, उत्तरांचल के सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के इस शासनादेश के संलग्नक में वर्णित पदों के संलग्नक के स्तम्भ-3 में उल्लिखित दिनांक 01 जनवरी 1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमानों को स्तम्भ-4 के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2001 से संशोधित/पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 के नीचे अंकित लेखापरीक्षा अनुदेश-4 के अनुसार किया जायेगा, यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण उसके द्वारा पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करते हुये उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा, वैयक्तिक वेतन की धनराशि का समायोजन आगामी वेतन वृद्धि में कर लिया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार सम्बन्धित पद धारक को मूल नियम-23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा, अर्थात वह इस शासनादेश के जारी होने की तिथि/दिनांक 01 अप्रैल 2001 से अथवा वर्तमान में किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है, विकल्प देने की अन्तिम तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक होगी, उक्त अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारी द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि/दिनांक 01 अप्रैल 2001 से विकल्प दिया गया है।

4. इन शासनादेशों द्वारा पुनरीक्षित/संशोधित वेतनमान का दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से 30 अक्टूबर, 2004 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, और यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सार्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दी जायेगी। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी किये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो रही हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

..2

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1628 वि०अनु०-3/2004 दिनांक 20 अक्टूबर,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(बी०सी० पाण्डेय)
सचिव

संख्या: 1637 (I)/दस-1-2004, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, देहरादून
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. उत्तरांचल, देहरादून.
5. वित्त अनुभाग-2/3.
6. गार्ड फाइल (I).

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 1640 (57) वित्त-1-2004-1(131)/2003, दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 का संलग्नक

क्रम संख्या	पदनाम	दिनांक 01.01.96 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान (रु.)	दिनांक 01.04.2001 से संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान (रु.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अन्वेषक कम संगणक	4500-[illegible]	5000-8000	-
2	सांख्यिकीय सहायक	5000-[illegible]	5500-9000	-

(किशन [illegible])
अपर सचिव